**Last updated 22/03/2024**

**Western Railway Zone**

**Security Department of Ratlam Division**

**Information under section 4(1)(b) of Right to Information Act-2005.**

| धारा | जानकारी का खुलासा किया जाना है | टिप्पणी /Remark |
|---|---|---|
| 4(1)b(i) | अपने संगठन की विशिष्टियाँ, कृत्य और कर्तव्य ; | रेसुब के लक्ष्य एवं उद्देश्य<br>**लक्ष्य-:**<br>रेलों को सौंपे गये माल तथा रेल सम्पत्ति, यात्री, व यात्री परिसर की सुरक्षा करेंगे।<br>रेल यात्रियों की सुरक्षा एवं संरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेंगे।<br>**उद्देश्य -:**<br>रेल सम्पत्ति यात्री व यात्री परिसर को बचाने में अपराधियों के विरूद्ध निरंतर संघर्ष जारी रखेंगे।<br>यात्रियों की बेहतर संरक्षा एवं सुरक्षा के लिए असामाजिक तत्वों को रेल गाड़ियों एवं रेल परिसरों से दूर रखेंगे।<br>भारतीय रेलों की छवि एवं कार्यकुशलता में सुधार लाने के लिए रेल के अन्य विभागों के साथ सहयोग करेंगे।<br>राजकीय रेल पुलिस/स्थानीय पुलिस एवं रेल प्रशासन के बीच कड़ी के रूप में कार्य करेंगे।<br>इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आधुनिक संसाधनों एवं प्रबंध कौशल का प्रयोग करेंगे। महिलाये, बच्चो, एवं बुजुर्गों की सहायता करेंगे।<br>**रेसुब अधिनियम -:2003-**<br>धारा -11बल सदस्यों के कर्तव्य प्रत्येक उच्चाधिकारी व बल सदस्य का -: कर्तव्य होगा,<br>(क) उन सभी आदेशों का तत्परता से निष्पादन करें जो उसको ऊपर वाले अधिकारी ने विधिपूर्वक दिए हो।<br>(ख) रेल संपति,यात्री एरिया एवं यात्रियों का बचाव व सुरक्षा करेंगे।<br>(ग) रेलवे संपति अथवा यात्री एरिया के याता यात मे आने वाली रुकावट को दूर करेंगे और<br>(घ) कोई एस कार्य करें जो रेल संपति , यात्री एरिया और यात्रियों के बेहतर बचाव और सुरक्षा मे सहायक हो। |
| 4(1)b(ii) | अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य ; | **रे सु बल अधिनियम 2003 : -**<br>**धारा 12 बिना वारंट के गिरफ्तार का अधिकार :-** कोई बल सदस्य किसी मेजिस्ट्रेट के आदेश व वोरंट के निम्न लिखित को गिरफ्तार किया जा सकता है :- |

| | | |
|---|---|---|
| | | 1. कोई व्यक्ति जो जान बूझकर चोट पहुंचाता है या बल सदस्यों को कर्तव्य पालन में रुकावट की कोशिश करता है या हमला करता है या हमला करने की धमकी देता है या आपराधिक बल प्रयोग में लाता है या आपराधिक बल की धमकी देता है या प्रयोग की कोशिश करता है, स्वयं को य बल सदस्यों को, जो बल सदस्य के कर्त्तव्यों का पालन कर रहा है तथा बल सदस्य के पालन में रोक पैदा करता है, रोक की कोशिश करता है या इसे कर्तव्य पालन से हटा देता है। जिससे कर्तव्य पालन नहीं हो पाता।<br>2. कोई व्यक्ति जो कि रेल सम्पत्ति, यात्री एरिया और यात्रियों संबंधी किसी ऐसे अपराध में शरीक रहा हो या जिसके विरूद्ध ऐसे अपराध में शरीक रहने का उचित सन्देह हो या ऐसी दशाओं से उपस्थिति को छिपाने का प्रयत्न कर रहा है कि जिससे यह विश्वास करने का कारण उत्पन्न होता है की वह ऐसा रेलवे संपत्ति, यात्री एरिया और यात्रियों से संबंधित, हस्तक्षेप्य अपराध करने के उद्देश्य से ऐसा कर रहा या<br>3. किसी व्यक्ति को जो रेलवे सीमा के अंदर ऐसी दशाओं में अपनी उपस्थिति को छुपाने का प्रयत्न कर रहा है जिससे यह विश्वास करने का कारण उत्पन्न होता है कि यह रेल संपत्ति, यात्री एरिया और यात्रीसामान की - चोरी या नुकसान पहुंचाने के अभिप्राय से ऐसा प्रयत्न कर रहा है, या<br>4. कोई व्यक्ति हस्तक्षेप्य अपराध करता है या उसकी कोशिश करता है जिससे किसी व्यक्ति के जीवन को भयंकर खतरा उत्पन्न हो जाता है या खतरा होने का अंदेशा हो जाता है, जो कि रेल संपत्ति यात्री एरिया या यात्रियों से सम्बन्धित कोई कार्य कर रहा है।<br>**धारा 13 बिना वोरंट के तलाशी का अधिकार :-**जब किसी बल सदस्य को जो हेड कॉन्स्टेबल के पद का न हो, यह विश्वास करने का कारण हो कि धारा में उल्लेखित अपराध हुआ हो या होने की सम्भावना है और 12 अपराधी के भाग जाने या साक्ष्य को छिपाने का अवसर दिये बिना तलाशी वह उसे वही रोकें का वारंट प्राप्त नहीं हो सकता तो उसे यह अधिकार है कि और उसके शरीर और सामान की तलाशी लें और उचित समझें तो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करें जिसके संबंध में ऐसा विश्वास करने का कारण हो कि उसने वैसा अपराध किया है। दण्ड प्रक्रिया संहिता के तलाशी 1973 लागू होंगे जो सम्बन्धित आदेश जहां तक सम्भव हो उन तलाशियों पर भी इस धारा के अनुसार की जाती है। |
| 4(1)b(iii) | विनिश्चय करने की प्रक्रिया मे पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है ; | रेलवे बोर्ड के द्वारा समय समय पर जारी नीति, दिशानिर्देश, परिपत्र एसओपी आदि के अनुसार। |
| 4(1)b(iv) | अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापदंड; | रेलवे बोर्ड के द्वारा समय समय पर जारी नीति, दिशानिर्देश, परिपत्र एसओपी आदि के अनुसार। |
| 4(1)b(v) | अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या | नियम -:RPF नियम 1987 |

| | | |
|---|---|---|
| | अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख ; | विनियम, अनुदेश,निर्देशिका – रेलवे बोर्ड तथा मुख्यालय द्वारा समय समय पर जारी किए जाते है। **अभिलेख-:**मण्डल स्तर मे घटित अपराध का अभिलेख मण्डल निरीक्षककार्यालय मे घटित अपराध का अभिलेख का रखा रखाव किया जाता है। |
| 4(1)b(vi) | ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है, प्रवर्गों का विवरण; | मण्डल स्तर मे घटित अपराध का अभिलेख मण्डल निरीक्षक कार्यालय मे घटित अपराध RP(UP) Act एवं Railway Act, UTI, का अभिलेख का रखा रखाव किया जाता है। |
| 4(1)b(vii) | किसी व्यवस्था की विशिष्टियाँ, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध मे जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके अभ्यावेदन के लिए विद्धमान है ; | इस का निपटारा वाणिज्य विभाग द्वारा रेलवे बोर्ड के दिशा -निर्देशों के तहत किया जाता है। |
| 4(1)b(viii) | ऐसे बोर्डों, परिषदों, सिमितियों और अन्य निकायों के, जिनमे दो या अधिक व्यक्ति है, जिंका उसके भागरूप मे या इस बारे मे सलाह देने के प्रयोजन के लिए गढ़न किया गया है और इस बारे मे कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, सिमितियों और अन्य निकायों कि बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत तक जनता की पहुँच होगी, विवरण ; | इस का निपटारा वाणिज्य विभाग द्वारा रेलवे बोर्ड के दिशा -निर्देशों के तहत किया जाता है। |
| 4(1)b(ix) | अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका ; | वरि॰ मण्डल सुरक्षा आयुक्त/ रे. सु. बल रतलाम मण्डल–<br>फोन नंबर- 092-44960 |
| 4(1)b(x) | अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रम, जिसके अंतर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है, जो उसके विनियमों मे यथोउपबन्धित हो ; | रेलवे बोर्ड एवं मुख्यालय के दिशा -निर्देशों के तहत किया जाता है। |
| 4(1)b(xi) | सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियाँ उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आबंटित बजट ; | इस का निपटारा लेखा विभाग द्वारारेलवे बोर्ड के दिशा -निर्देशों के तहत किया जाता है। |
| 4(1)b(xii) | सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमे आबंटित राशि और ऐसे कार्यकर्मों के फायदाग्रहियों के ब्यौरे सम्मिलित है; | इस का निपटारा कार्मिक विभाग द्वारारेलवे बोर्ड के दिशा -निर्देशों के तहत किया जाता है। |
| 4(1)b(xiii) | अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विंशिष्टियाँ; | इस का निपटारा वाणिज्य विभाग द्वारारेलवे बोर्ड के दिशा -निर्देशों के तहत किया जाता है। |

| | | |
|---|---|---|
| 4(1)b(xiv) | किसी इलेक्ट्रानिक रूप से सूचना के संबंध मे ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो ; | रेसुब द्वारा किए गए अच्छे कार्य को सोशल मीडिया सेल द्वारा ट्विटर, फेसबूक, इंस्टाग्राम, कू एवं यू ट्यूब के माध्यम से सोशियल मीडिया में प्रदर्शित किया जाता है। |
| 4(1)b(xv) | सुचन अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियाँ, जिनमें किसी पुस्तकाल्य या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो, कार्यकरण घण्टे सम्मिलित है ; | सुरक्षा विभाग से संबन्धित नहीं है। |
| 4(1)b(xvi) | लोक सुचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ; | जन सूचना अधिकारी- श्री मिथुन सोनी, वरि॰ मण्डल सुरक्षा आयुक्त/ रे. सु. बल रतलाम मण्डल –फोन नंबर – 092-44960 |
| 4(1)b(xvii) | ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जाए; | Click here for WesternRailwaywebsite www.wr.indianrailways.gov.in |